GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 276 No. 302] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941 [N.C.T.D. No. 276

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2019

फा सं. एफ.19(1)/2018/आईटीसी/6225.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 840 के साथ पिठत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर 2006 की फा. सं. 12(4)/2003/आईटीसी/4695 के अनुसार अधिसूचित सहायक प्रोग्रामर के पद की भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में डाटा प्रोसैसिंग सहायक के पद हेतु भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को डाटा प्रोसैसिंग सहायक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जायेगा।
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

5703 DG/2019 (1)

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा , अन्य योग्यता इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 11 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति :--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. बचाव:—इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	डाटा प्रोसैसिंग सहायक (सहायक प्रोग्रामर का पूर्व पद)		
2.	पदों की संख्या	:	100* (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।		
			अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च	4	
			केन्द्रीय कारागार	2	
			दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	3	
			अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पंसख्यक कल्याण विभाग	1	
			पर्यावरण विभाग	1	
			खाद्य सुरक्षा विभाग	1	
			समाज कल्याण विभाग	9	
			व्यापार एवं कर विभाग	16	
			महिला एवं बाल विकास विभाग	3	

			विकास विभाग	1
			होम गार्ड महानिदेशालय	1
			आयुष निदेशालय	1
			अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	1
			शिक्षा निदेशालय	4
			रोजगार निदेशालय	1
			·	1
			प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2
			सतर्कता निदेशालय	1
			डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	2
			औषधि नियंत्रण विभाग	1
			वित्त बजट (सा०प्र०वि०)	1
			खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3
			गुरू तेग बहादुर अस्पताल	1
			सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4
			उपराज्यपाल सचिवालय	3
			मंडोली जेल	1
			मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय	2
			आबकारी, मनोरंजन एवं विलासित कर आयुक्त	2
			प्रधान लेखा कार्यालय	3
			पण्डित मदन मोहन मालवीय अस्पताल	1
			पंजीयक सहकारी समिति	1
			राजस्व विभाग	11
			परिवहन विभाग	10
			यू० टी० सी० एस०	1
			शहरी विकास विभाग	1
			 कुल	100
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकी	य
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	:	स्तर – 7	
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं	
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु—सीमा	:	तीस वर्ष से अधिक नहीं	
			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों व सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	े अनुसार
			टिप्पण : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।	तिथि संघ

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री । या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी / सूचना प्रौद्योगिकी में बी०ई० / बी०टैक । टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु—सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष परिवीक्षा के सफल समापन के रूप में उपयोगकर्ता विभागों द्वारा वांछित पोस्ट मॉड्यूल के कर्त्तव्यों के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण
10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		तिथाण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अविध के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से भरा जा सकता है। (क) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम ७ में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । टिप्पण : (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अविध भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होंगी)।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	:	लागू नहीं

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति	:	'ख' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति	
	हो, तो इसकी संरचना क्या है?		1. विकास आयुक्त, रा०रा०क्षे० दिल्ली सरकार –	अध्यक्ष
			2. प्रधान सचिव / सचिव (सेवाएं), रा०रा०क्षे०	
			दिल्ली सरकार —	सदस्य
			3. प्रधान सचिव / सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी),	
			रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार —	सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।	
	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श			
	लिया जाना है।			

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अजय चगती, विशेष सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2019

- **F. No. 19(1)/2018/ITC/6225.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Assistant Programmer notified vide No. F. 12(4)/2003/ITC/4695 dated 17th October, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior consultation of the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment for the post of Data Processing Assistant in the Information Technology Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -
- **1. Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the Data Processing Assistant Recruitment Rules, 2019.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualification etc.:- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns No. 5 to 11 of the said Schedule.
- **4. Disqualifications:-** No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Service Public Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts		Classification	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non- selection Post	Age Limit for Direct Recruits
1	2		3	4	5	6
DATA PROCESSING	100* (2019) *Subject to variation dependent on wo	rkload	GCS Group – 'B' Gazetted Non – Ministerial.	Level – 7.	Not applicable	Not exceeding 30 years.
ASSISTANT	Ambedkar Institute of Advance Technologies & Research	4				(Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or
(Erstwhile post of Assistant	Central Jail Delhi Subordinate Services	3				
Programmer).	Selection Board Department for Welfare of	1				
	SC/ST/OBC/Min. Department of Environment	1				orders issued
	Department of Food Safety Department of Social Welfare	9				by the Central Government)
	Department of Trade & Taxes	16				Note: The
	Department of Women & Child Development	3				crucial date for determining
	Development Department Directorate General of Home Guards	1				the age limit as advertised by
	Directorate of Ayush	1				Union Public Service
	Directorate of Economics & Statistics	4				Commission.
	Directorate of Education	1				
	Directorate of Employment	1				
	Directorate of Training & Technical Education	2				
	Directorate of Vigilance	1				
	Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital	2				
	Drugs Control Department	1				
	Finance Budget (GAD)	1				
	Food Supplies & Consumer Affairs Department	3				
	GTB Hospital	1				
	Information Technology Department	4				
	Lt. Governor's Secretariat	3				
	Mandoli Jail	1				
	O/o Chief Electoral Office O/o Commissioner of Excise, Entt.	2 2				
	& Luxury Tax Principal A/C Office	3				
	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	1				
	Registrar Cooperative Society	1				
	Revenue Department	11				
	Transport Department	10				
	Union Territories Civil Services Urban Development Department	1				
	Total	100				

Educational and other Qualification required for Direct Recruits.	Whether age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment: Whether by direct rectt. Or by promotion/or by deputation/Absorption & %age of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
(i) Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/Computer Science of a recognized University/Institute; OR (ii) B.E. / B. Tech. in Computer Engineering/ Computer Science / Computer Technology / Computer Science and Engineering / Information Technology from a recognized University / Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission (UPSC), for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. Two weeks induction training in the field of duties of the post module desired by user departments as part of successful completion of probation.	By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (A) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under Column 7. Note: (Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	Group – B Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Development Commissioner, GNCTD – Chairman 2. Principal Secretary / Secretary (Services), GNCTD – Member 3. Principal Secretary/ Secretary (IT), GNCTD – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Spl. Secy. (IT)